केंद्रीय बजट 2018–19

किसान कल्याण और कृषि विकास से नए भारत का निर्माण

–डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत सरकार की नए भारत के विकास की रणनीति में किसानों और कृषि को अहम् स्थान दिया गया है और 'सक्षम किसान–समृद्ध भारत' की कल्पना की गई है। भारत की सामाजिक–आर्थिक दशा को देखते हुए यह एक तर्कसंगत और प्रभावी सोच है, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी आज भी खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि को अधिक कुशल, अधिक लाभदायक और सतत् बनाने के लिए बजट में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का संकल्प लिया है।

इस साल पहली फरवरी को संसद में प्रस्तुत भारत सरकार के आम बजट (2018–19) पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे गांव, गरीब एवं किसान को समर्पित बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न्यू इंडिया की नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत सरकार की नए भारत के विकास की रणनीति में किसानों और कृषि को अहम् स्थान दिया गया है और 'सक्षम किसान–समृद्ध भारत' की कल्पना की गई है। कृषि को अधिक कुशल, अधिक लाभदायक और सतत् बनाने के लिए बजट में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का संकल्प लिया। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में किसानों और कृषि के प्रति सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम कृषि को एक उद्यम के रूप में देख रहे हैं और हमारा प्रयास है कि किसान अपनी उसी भूमि से कम लागत पर अधिक उत्पादन करें और उसे उपज की अच्छी कीमत भी मिले। इसके साथ ही किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए खेत पर तथा खेत से इतर रोजगार के लाभदायक अवसर उत्पन्न करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2016–17 के दौरान किसानों की मेहनत और लगन के कारण देश में खाद्यान्नों का लगभग 27.5 करोड़ टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जबकि लगभग 30 करोड़ टन फल और सब्जी उपजाए गए। बजट में कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए आवश्यक लगभग सभी पहलुओं पर नई योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए जोर दिया गया है। बजट में उपयुक्त और कुशल प्रौद्योगिकी का विकास; व्यावहारिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का जमीनी–स्तर पर क्रियान्वयन; नए संस्थानों का निर्माण और विकास; तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा देश में समग्र कृषि विकास एवं कृषक समृद्धि की मजबूत नींव रखने का काम किया गया है।

छोटे किसानों की बदलेगी तकदीर

इस दिशा में पहला और आवश्यक कदम उठाते हुए इस वर्ष कृषि क्षेत्र के बजट आवंटन में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 58,080 करोड़ रुपये किया गया। इसके साथ ही कुछ विशेष क्षेत्रों में कॉर्पस फंड के जरिए सहायता राशि का आवंटन किया जा रहा है। जैसे सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5,000 करोड़ रुपये (वर्ष 2017–20) और डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना कोष के लिए 10,881 करोड़ रुपये (2017–20)। इस वर्ष के बजट में दो नए कोषों के लिए आवंटन किया गया है– कृषि बाजार अवसंरचना कोष (2,000 करोड़ रुपये) और मात्स्यिकी तथा जल संवर्धन और पशुपालन के लिए संयुक्त रूप से अवसंरचना विकास कोष (10,000 करोड़ रुपये)। कृषि बाजार अवसंरचना कोष का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजार की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना है। दरअसल हमारे देश में अभी भी लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमांत वर्ग से आते हैं, जो बड़ी कृषि मंडियों (एपीएमसी) और अन्य थोक बाजारों से सीधे लेन–देन में सक्षम नहीं होते। बिचौलिये इसका फायदा उठाकर उनसे औने–पौने भाव में उपज खरीद लेते हैं। इसलिए

सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार ('ग्राम') के रूप में उन्नत और विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। इन बाजारों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'मनरेगा' तथा अन्य सरकारी योजनाओं की सहायता ली जाएगी और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार ('ई–नाम') से जोड़ा जाएगा। एक नीतिगत फैसला करते हुए सरकार ने 'ग्राम' को एपीएमसी के नियमों से मुक्त करने का प्रावधान भी किया है। इससे किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को बेच सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण कृषि बाजारों को पक्की सड़कों से जोड़ने की भी व्यवस्था कर सरकार ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है।

इसी तरह मात्स्यिकी तथा पशुपालन संबंधी कोष से राज्य सरकारों, सहकारी संगठनों और निजी–स्तर पर कार्य कर रहे निवेशकों को इस सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मछली संग्रहण केंद्रों, शीत भंडारगृहों, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि नए बजट प्रावधानों के अनुसार अब पशुपालन और मात्स्यिकी में संलग्न किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ होगा। खेती–किसानी के समय पर और उचित दर पर ऋण मिलना किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा है। इस सुविधा के दायरे को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के कुल क्रेडिट प्रावधान को पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने एक विशेष पहल करते हुए उन करोड़ों किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाया है, जो बंटाई पर या खेत को किराए पर लेकर खेती करते हैं। दरअसल भूमि पर अधिकार ना होने के कारण इन किसानों को संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता और ये साहूकार या महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं। इस बजट में इस समस्या को दूर करने के लिए 'मॉडल लैंड लाइसेंसी कल्टीवेटर एक्ट' की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत अब इन्हें भी संस्थागत ऋण का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नीति आयोग और राज्य सरकारें आपस में विचार–विमर्श करके जरूरी प्रक्रियाओं को तय करेंगे।

ऑपरेशन ग्रीन्स का सुरक्षा कवच

हमारे देश में टमाटर, आलू और प्याज, तीन ऐसी प्रमुख कृषि जिंसें या सब्जियां हैं, जिनकी बाजार मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन इनके उत्पादन में क्षेत्रीय–स्तर पर और मौसम के अनुसार काफी विभिन्नता रहती है। इसलिए वर्ष के दौरान इनकी बाजार कीमतों में काफी उतार–चढ़ाव देखने को आता है, जिसका नुकसान कभी किसान को तो कभी उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। जबकि सरकार चाहती है कि किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिले और उपभोक्ताओं को भी कीमतों में अचानक

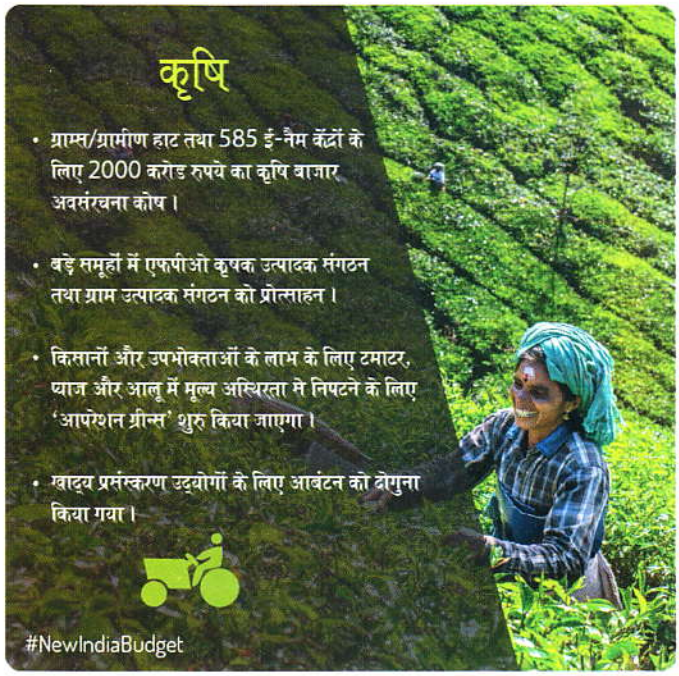

वृद्धि की पीड़ा ना झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के नाम से एक विशेष योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसे 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर संचालित करने की नीति बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों, कृषि से जुड़ी सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे मूल्य में स्थिरता आएगी। ज़मीनी स्तर पर इस योजना की कामयाबी अनेक सामाजिक–आर्थिक और व्यावसायिक कारकों पर निर्भर करती है, परंतु इसकी सफलता निःसंदेह भारतीय कृषि में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।

इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र का विकास भी किसानों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं, तीनों के हितों को साधने वाला है और इस समय इस क्षेत्र में आठ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने और बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए बीते वित्तीय वर्ष में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लागू की गई, जिसके लिए 715 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। परंतु इसके महत्व को देखते हुए इस वर्ष इसका बजट आवंटन लगभग दुगुना करके 1400 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने विशेष कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी की है। खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात की संभावनाओं के बीच लगभग सीधे संबंध को देखते हुए सरकार ने एक ऐसी संस्थागत प्रणाली के विकास का प्रस्ताव दिया है, जिससे 2022–23 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जाना संभव होगा। इसके लिए देश भर में स्थापित किए जा रहे 42 मेगा फूड पार्कों को आधुनिक सुविधाओं से

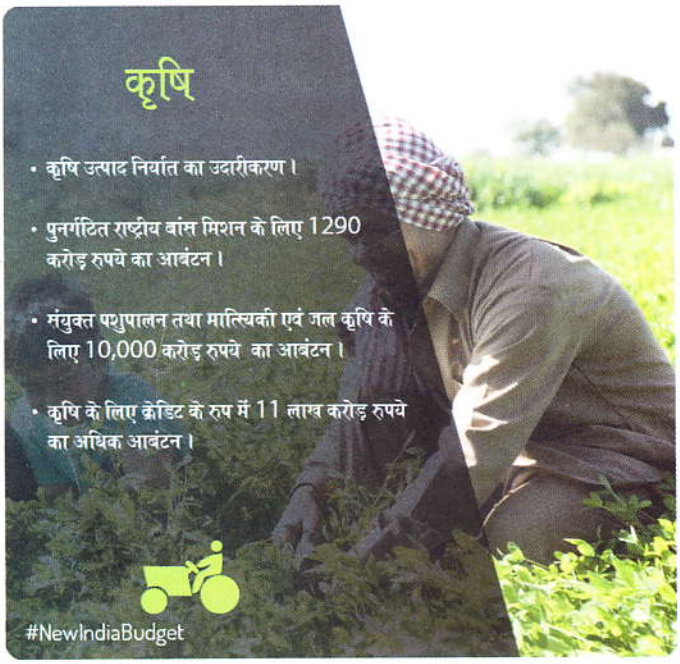

उन्नत बनाया जा रहा है और विदेशी बाजारों को लक्ष्य करते हुए आधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं। सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय मिलकर एक ऐसी संस्थागत प्रक्रिया विकसित करेंगे, जिससे किसान को उसकी उपज की कटाई के समय मिलने वाली बाजार कीमत का अनुमान लग सके। किसान अपनी उपज को औने–पौने भाव पर बेचने के लिए विवश ना हो, इसके लिए भंडारण क्षमताओं के विकास और प्रसार पर भी जोर देने का प्रावधान किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने का काम एक स्वतंत्र कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ मापदंड या पैरामीटर तय किए गए हैं। भारत सरकार ने जिस मापदंड पर एमएसपी तय करने का प्रावधान किया हैं, उसे ए–2 एफएल कहा जाता है। इसके तहत कृषि लागत में वो सभी खर्च शामिल किए जाते हैं, जो किसान अपनी जेब से करता है, जैसे बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक व अन्य दवाएं, ईंधन, सिंचाई और मजदूरी। इसके साथ किसान और उसके परिवार द्वारा किए गए श्रम को इस खर्च में शामिल किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ देकर एमएसपी तय किए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का आग्रह है कि कृषि लागत का आकलन 'सी–2' मापदंड से किया जाए, जिसमें भूमि का किराया और किसान की पूंजी पर ब्याज को भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में एक पेंच यह भी है कि आयोग द्वारा फसल की मांग–आपूर्ति की दशा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तथा अन्य व्यावसायिक पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता।

एक महत्वपूर्ण पक्ष और भी है। देखा गया है कि कई बार सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन के कारण किसी फसल का उत्पादन मांग से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिससे बाजार कीमतें एमएसपी से कहीं कम स्तर पर पहुंच जाती हैं। इस दशा में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को इस विपदा से सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके एक दोषरहित और प्रभावी प्रक्रिया विकसित की जाए। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आठ कृषि जिंसों के लिए लागू 'भावान्तर भुगतान योजना' एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। इसके अंतर्गत समुचित वित्तीय सहायता देकर कम बाजार कीमतों का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाता। इस योजना को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, जिन पर नीति आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। पूरी आशा है कि जल्दी ही इस समस्या का एक व्यावहारिक और कारगर समाधान हमारे सामने होगा।

कृषि विविधीकरण से समृद्धि

केवल परंपरागत कृषि फसलों की खेती पर निर्भर रहने से किसानों की आमदनी में सार्थक वृद्धि की संभावना बहुत कम है। इसलिए बजट में अन्य लाभदायक फसलों की कृषि और विपणन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है विशेष रूप से बागवानी फसलों के लिए अपनाए जाने वाली 'क्लस्टर बेस्ड अप्रोच'। दरअसल हमारे देश के अनेक क्षेत्र या जिले अपनी विशिष्ट फसलों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु इसके लिए उन्हें अभी तक कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है, जिससे किसान इनकी खेती से विमुख होते जा रहे हैं। 'क्लस्टर' विचारधारा के अंतर्गत जिले के विशिष्ट कृषि उत्पादों को पहचानकर उनकी खेती को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे उद्योगों के क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी बागवानी फसल को पहचान कर उसके उत्पादन से लेकर विपणन तक की शृंखला को विकसित किया जाएगा। इससे उस जिले को भी विशेष पहचान हासिल हो। बजट प्रस्ताव

के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी योजनाओं में 'क्लस्टर' विचारधारा के अनुसार बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य और अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार–विमर्श भी करेगा ताकि एक प्रभावी तथा ठोस नीति बनाकर इस विचारधारा को ज़मीनी–स्तर पर कामयाबी से लागू किया जा सके। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्राम उत्पादक संगठनों (वीपीओ) को बड़े क्लस्टर्स (प्रत्येक 1,000 हेक्टेयर) में आर्गेनिक खेती करने के लिए आवश्यक सहायता व सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहों को भी आर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। एफपीओ के संदर्भ में बजट में एक बेहद स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। दरअसल अभी तक सहकारी संगठनों को आयकर में छूट मिला करती थी, परंतु सहकारी मॉडल पर काम करने वाले एफपीओ इस लाभ से वंचित थे। सरकार ने बजट में प्रावधान करके अब इन्हें भी आयकर से मुक्त कर दिया है। परंतु यह छूट 100 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले एफपीओ पर लागू होगी। आशा है कि इस कदम से अनेक स्टार्टअप द्वारा एफपीओ को उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका लाभ अंततः किसानों को मिलेगा।

औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा

कृषि विविधीकरण के अंतर्गत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती और इससे संबंधित उद्योगों, जैसे इत्र, आवश्यक तेल आदि को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इस उद्यम को किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा गया है। इन विशेष पौधों की संगठित खेती और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन को एक नई दिशा इसी क्रम में बांस को भी यथोचित महत्व देते हुए नई ऊर्जा देने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 1290 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले ही गैर–वन क्षेत्र में उगाए जा रहे बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया है। इससे अब बांस को वे सभी लाभ मिलने के रास्ते खुल गए हैं, जो आमतौर पर फसलों को मिला करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस उत्पादकों को जरूरी सुविधाएं और 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती का विस्तार किया जा सकेगा। खेती के साथ ही बांस से विभिन्न उत्पाद बनाने को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें निर्यात भी शामिल है।

हर खेत को पानी

खेतों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं जिनके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार ने पूर्व में गठित दीर्घावधि सिंचाई कोष को विस्तार दिया है। यह कोष पिछले दो वर्षों से 'नाबार्ड' द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी सहायता से सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। इस बजट में इसके दायरे को बढ़ाकर विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। भूजल के उपयोग को सुनिश्चित और तर्कसंगत बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ रुपये की निधि से एक नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना को 30 प्रतिशत से भी कम

न्यूनतम समर्थन मूल्य में निश्चित वृद्धि

सरकार द्वारा एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद एक ऐसी देशव्यापी प्रक्रिया है, जिस

पर अधिकांश किसान अपनी आमदनी के लिए निर्भर रहते हैं। इसलिए इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। अपने संकल्प और वायदे को निभाते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक अहम् निर्णय लेकर तय किया है कि विभिन्न कृषि जिंसों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ देकर अधिक एमएसपी दिया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसी दर पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी और किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अभी तक केवल मुख्य रबी फसलों, जैसे गेहूं, जौ, चना और मसूर पर ही इस बढ़ी दर से एमएसपी देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बजट में की गई घोषणा के अनुसार अब सभी 23 फसलों पर नई दर से एमएसपी दिया जाएगा, जिसमें खरीफ की फसलें शामिल हैं। खरीफ की फसलें गर्मी में बोयी जाती हैं और इनके लिए एमएसपी की घोषणा जून में की जाती है, जिससे किसानों को पता रहे कि उन्हें फसल की क्या कीमत मिलने वाली है। इनकी सरकारी खरीद अक्तूबर में शुरू होती है।

सिंचाई सुविधा वाले 96 जिलों में लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के बजट में सूक्ष्म सिंचाई निधि का गठन किया गया था, जिसके सफल संचालन से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

भारत सरकार कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को लेकर सजग है और इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत से एक महत्वाकांक्षी 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए वर्ष 2018–19 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत गांव और इसके आसपास पड़ी किसानों की बंजर भूमि पर सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी शुरुआती क्षमता 10,000 मेगावॉट होगी और इसी क्रम में 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड कृषि सोलर पंप भी लगाए जाएंगे। इससे किसान ग्रिड को सोलर बिजली बेचकर बंजर भूमि से अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे और फसलों की सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी होगी। किसानों को 30 प्रतिशत लागत बैंक से आसान ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। इस तरह किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि ही अपने साधनों से खर्च करनी होगी।

कुसुम योजना

'सरकार एक तरफ सबको 24 घंटे स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो दूसरी तरफ किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में सरकार किसानों के लिए कुसुम योजना लेकर के आई है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के उपरांत उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सकेगी। योजना पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उसके संभावित सकारात्मक अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं–

- विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन
- संप्रेषण नुकसान में कमी
- कृषि क्षेत्र के सब्सिडी भार को कम करके बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय समर्थन
- आरपीओ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को समर्थन
- ऑफ ग्रिड और ग्रिड से जुड़े सौर जल पंपों के माध्यम से निश्चित जल संसाधन जुटा कर किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करना
- राज्य सिंचाई विभागों की सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए विश्वसनीय रूप से ऊर्जा प्रदान करना
- रूफटॉप तथा बड़े पार्कों के बीच माध्यमिक दायरे में सौर बिजली उत्पादन की रिक्तता को भरना।

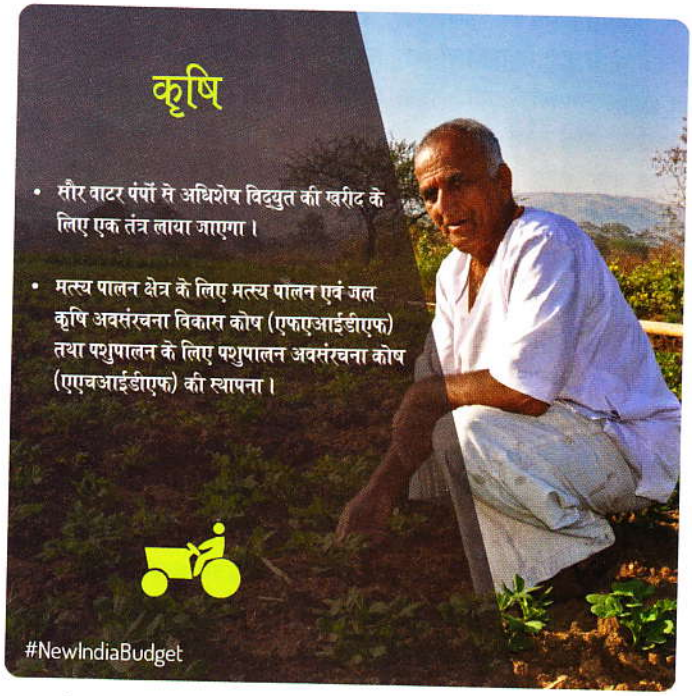

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर क्रांति को साकार करने में सहायता करेगी।

गांवों में ऊर्जा की उपलब्धता और स्वच्छता मिशन को एक सूत्र में जोड़कर 'गोबर–धन' (गैलवेनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रोरिसोर्स धन) नामक योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पशुओं के गोबर और ठोस कचरे को कम्पोस्ट, उर्वरक, बायोगैस तथा बायो–सीएनजी जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। इससे गांवों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने में मदद मिलेगी और किसानों को स्थानीय साधनों से ऊर्जा सुलभ होगी।

हाल में राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की गई है और इसका एक प्रमुख कारण अड़ोस–पड़ोस के राज्यों के किसानों द्वारा धान की पराली को जलाना बताया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए वर्तमान बजट में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रदूषण–निवारण प्रयासों को सहायता देने की योजना प्रस्तावित की है। इसके तहत फसल अवशेषों के स्वच्छ और कुशल निपटान के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कुल मिलाकर भारत सरकार का वर्तमान बजट किसानों के लिए समृद्धि और खुशहाली का संदेश लेकर आया है और इसमें कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए किए गए अनेक प्रावधान दर्शाते हैं कि भारत सरकार सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)
ई–मेल : jgdsaxena@gmail.com